भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को दी कई सौगातें

भरतपुर व बीकानेर यू.आई.टी. होंगे विकास प्राधिकरण, चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होगी भर्ती

- वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया मुख्यमंत्री ने
- एन.एफ.एस.ए. के लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेण्डर
- 1 सितंबर 2024 से लागू होंगी वेतन विसंगति संबंधी सिफारिशें
- बार काउंसिल को एक बारीय सहायता के रूप में 7 करोड़ 50 लाख रुपये
- द्रव्यवती नदी के विकास के लिए नवीन योजना बनाई जाएगी

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 450 रुपये में एलपीजी सिलेण्डर की योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थियों को 450 रुपये में एलपीजी सिलेण्डर दिया जाएगा। अब तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं बीपीएल श्रेणी के परिवारों को इसका लाभ मिल रहा था।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को राजस्थान विनियोग एवं वित्त विधेयक पर चर्चा के प्रत्युत्तर के दौरान गत सरकार में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सिफारिशों को लागू करने, पुलिस, आरएसी, जेल प्रहरी, वन रक्षक में अग्निवीर युवाओं को नियुक्ति का प्रावधान, भरतपुर एवं बीकानेर में विकास प्राधिकरण सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गरीब, पिछड़ा एवं अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति के उत्थान के लिए 24 गुणा 7 कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भी सर्वजनहिताय की सोच वाला, समाज के सभी वर्गों-युवा, किसान, महिला, मजदूर, गरीब, असहाय, उपेक्षित और अंतिम छोर पर खडे.व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला बजट दिया है। इस बजट के 10 संकल्पों से हम प्रदेशवासियों की खुशहाली के साथ विकसित राजस्थान का निर्माण करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारत के लोकतंत्र में काला दिवस था। उस दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने अपना पद बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या की। नेताओं को मीसा कानून के तहत जेल में डाला, न्यायालय के अधिकारों पर कुठाराघात किया और मीडिया पर सेंसरशिप लागू की। साथ ही 1953 से 2014 के बीच 50 बार से अधिक राज्यों में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जनहित का काम करती है, नाम बदलने का राजनीति नहीं। पूर्ववर्ती सरकार ने अटल सेवा केन्द्र का नाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र करने एवं अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम बदलकर इंदिरा रसोई योजना करने का कार्य किया गया।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ठोस कार्य करने की नीति के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं पूर्ववर्ती सरकार के समय में केवल थोथी घोषणाएं हुईं। पशुधन बीमा योजना में पशुपालकों का रजिस्ट्रेशन किया लेकिन एक भी पशु का बीमा नहीं किया गया। वहीं प्रतापगढ़, जालौर एवं राजसमंद में मेडिकल कॉलेज खोलने, फिरोजपुर फीडर की मरम्मत के कार्य, जयपुर में विश्वकर्मा एमएसएमई, केन्द्रीय बस स्टैंड-सिंधी कैम्प को मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड आईएसबीटी हब के रूप में विकसित करने सहित कई घोषणाओं की क्रियान्विति नहीं हुई।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अल्प अवधि में 45 हजार से अधिक पदों के लिए भर्तियों के विज्ञापन प्रकाशित किये हैं। लगभग 20 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में ईआरसीपी (पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट) के लिए भी कोई एमओयू नहीं किया गया। साथ ही, यमुना जल समझौते के लिए एक मांग पत्र भी नहीं लिखा गया। वहीं हमनें प्रदेशहित में इन योजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया।

इस दौरान शर्मा ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4.0 के अंतर्गत प्रदेश की ढाई हजार से अधिक ग्रामीण बसावटों को सड़क से जोड़ने का प्रावधान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट किया। उन्होंने प्रदेश में सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन संबंधी कार्यों के लिए 1 हजार 100 करोड़ रुपये के अधिक की राशि के कार्यों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों में 1 हजार करोड़ रुपये व्यय कर 10 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ निर्मित किए जाएंगे। उन्होंने बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए 500 के स्थान पर 1000 ई-बस उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भरतपुर एवं बीकानेर यूआईटी का उन्नयन कर वहां विकास प्राधिकरण का गठन करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में जन सुविधा के कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण सम्पादित करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर जिला नगरीय आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि द्रव्यवती नदी के विकास के लिए नवीन योजना बनाई जाएगी। उन्होंने 10 हजार से अधिक आबादी वाले कस्बों एवं निकटवर्ती गांवों को शामिल करते हुए 100 कलस्टरों में चरणबद्ध रूप से फेकल स्लज मैनेजमेंट के कार्य एवं दौसा शहर में सीवरेज मास्टर प्लान, सूरजगढ़ (झुंझुनूं), सांगोद (कोटा) में सीवरेज लाईन के कार्य, चेचट एवं खैराबाद कस्बों में क्षतिग्रस्त नालों की सफाई एवं पुनर्निर्माण कार्यों की घोषणा भी की।

शर्मा ने प्रदेश में पेयजल सुविधा हेतु बीसलपुर पेयजल योजना में अजमेर (फेज-3)-जयपुर (फेज-2) के लिए कॉमन इंटेक वैल मय ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण सहित पेयजल संबंधी 9 कार्य 540 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पेयजल की गुणवत्ता एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए वाटर टेस्टिंग लैब्स को राष्ट्रीय स्तर का बनाकर एनएबीएल से मान्यता प्राप्त करने हेतु 15 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। साथ ही, वाटर टेस्टिंग सेंपल्स को जीओ टेगिंग कर ऑनलाइन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए एससीआईएल और गेल से एमओयू करते हुए 4100 मेगावाट क्षमता का सृजन किया जाएगा। उन्होंने किसानों के खेत पर कुसुम परियोजना/हैम मॉडल के माध्यम से 1000 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन किए जाने की घोषणा की। साथ ही, प्रदेश में हैम मॉडल पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के माध्यम से चरणबद्ध रूप से 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित की जाएगी। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कैप्टिव पावर उत्पादन की सीमा 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत करने एवं विभिन्न क्षमता के 4 जीएसएस स्थापित किए जाने की घोषणा भी की।

शर्मा ने युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 6 प्रतिशत ब्याज पुनर्भरण हेतु ऋण की सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किए जाने, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत दस्ताकारों को दिये जा रहे 5 प्रतिशत की दर पर ऋण हेतु 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिये जाने, खुशियारा (बारां) एवं पण्डेर (जहाजपुर)-शाहपुरा में औद्योगिक पार्क एवं अजमेर में आईटी पार्क स्थापित किये जाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की स्किलिंग एवं अप्रेंटिसशिप के लिए पीएम पेकेज के अंतर्गत प्रदेश के ढाई लाख से अधिक युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने भर्तियों में लगने वाले समय को कम करने के उद्देश्य से दस्तावेज सत्यापन विभागीय स्तर पर कराये जाने एवं विज्ञप्ति उपरांत रिक्तियों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि के प्रावधान को बढ़ाकर 100 प्रतिशत किये जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के नियमों में परिवर्तन किया जाकर इन पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने सीईटी के प्रावधानों में बदलाव करते हुए क्वालीफिकेशन हेतु सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत एवं एससी-एसटी के लिए 35 प्रतिशत अंक किये जाने की घोषणा की। उन्होंने कालवाड़, बनीपार्क (जयपुर) सहित 6 नवीन महाविद्यालयों, 3 नवीन कन्या महाविद्यालयों, बालाहेड़ा (महवा-दौसा) में कृषि महाविद्यालय, 2 पॉलिटेक्निक एवं एक महिला पॉलिटेक्निक सहित शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की।

शर्मा ने कहा कि आरयूएचएस का उन्नयन करते हुए एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना की जाएगी। उन्होंने प्रदेश में राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम-2018 के अंतर्गत इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन किये जाने की भी घोषणा की। उन्होंने श्रीगंगानगर एवं मेडिकल कॉलेज कोटा में कैंसर मरीजों के लिए लीनियर एक्सलरेटर मशीनें उपलब्ध करवाने सहित विभिन्न चिकित्सा संस्थानों की स्थापना एवं क्रमोन्नयन की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष विजयदान देथा साहित्य उत्सव मनाने सहित विभिन्न आस्था केन्द्रों, पेनोरमा एवं बावड़ी संबंधी विकास कार्यों के लिए भी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि जयपुर एवं जोधपुर में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवीन क्षेत्रीय कार्यालय शुरू किए जाएंगे। उन्होंने एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि से 2 लाख 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल को सिंचित किए जाने के लिए विभिन्न सिंचाई संबंधी कार्यों करवाये जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल, फसली रोग एवं विपणन संबंधी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान कर राज किसान साथी प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। उन्होंने पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान में 10 प्रतिशत की वृद्धि, 2 हजार दुग्ध संकलन केन्द्र खोलने, पशु चिकित्सा संस्थानों की स्थापना एवं क्रमोन्नयन, परबतसर (डीडवाना-कुचामन), सेड़वा (चौहटन) एवं भाड़ोती (सवाईमाधोपुर) में कृषि मंडी खोलने तथा 150 बीज बैंकों की स्थापना सहित विभिन्न घोषणाएं की।

शर्मा ने केन्द्रीय सशस्त्र बलों की तर्ज पर अग्निवीर युवाओं को पुलिस, आरएसी, जेल प्रहरी, वन रक्षक में नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान करने की घोषणा की। उन्होंने प्रदेश में 100 सीटर राज्य स्तरीय अभय कमांड सेंटर की स्थापना करने, तिजारा (खैरथल) में बॉर्डर होमगार्डस की एक कंपनी तैनात किए जाने, अजमेर/जयपुर स्थित राजस्व मंडल एवं कर बोर्ड का एकीकरण किये जाने, डीड राइटर्स की संख्या दोगुनी कर 5 हजार किये जाने, विभिन्न प्रशासनिक, पुलिस इकाईयों एवं न्यायालयों की स्थापना एवं क्रमोन्नयन सहित अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। उन्होंने बार काउंसिल को एक बारीय सहायता के रूप में 7 करोड़ 50 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने गत सरकार द्वारा गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन सुधार, वेतन विसंगति संबंधी शेष सिफारिशों को 1 सितंबर, 2024 से लागू करने, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हॉयरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2022 के अंतर्गत सृजित पदों के नियमित पदों में परिवर्तित किये जाने पर नियुक्ति हेतु 5 वर्ष के अनुभव की निर्धारित पात्रता अवधि में वर्ष 2024-25 में 2 वर्ष की छूट प्रदान किये जाने की घोषणा की। उन्होंने पेंशनर्स को राहत प्रदान करते हुए 70 से 75 वर्ष के पेंशनर्स के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की घोषणा की।

नव नियुक्त राज्यपाल कल शपथ लेंगे

जयपुर। राजस्थान के नव नियुक्त राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे 31 जुलाई को राजभवन में आयोजित समारोह में शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यपाल बागडे को मुख्य न्यायाधिपति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव शपथ ग्रहण करवाएंगे। राज्यपाल के सचिव गौरव गोयल ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में सांय 4 बजे आयोजित होगा।

बोनस अंक नहीं देने पर मांगा जवाब

जयपुर। हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती-2023 में अभ्यर्थी को बोनस अंक नहीं देने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक सहित स्थानीय सीएमएचओ से जवाब तलब किया है। जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश रजनीश भारती की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए काम किया था। उसके पास करोना काल और उसके बाद का अनुभव प्रमाण पत्र है। इसके बावजूद भी उसे अनुभव के बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया और दस्तावेज सत्यापन के बाद उसे चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया।

आम सूचना हर आम व खास को इत्तिला दी जाती है कि प्लॉट नम्बर 61 व 62 वाके कृष्णा विहार, हरनाथपुरा, झोटवाडा, जयपुर को घोटी देवी पत्नी श्री मालूराम मीणा, निवासिया-मकान नम्बर 55 व 56, मीणा की ढाणी, हरनाथपुरा, झोटवाडा, जयपुर में जरिये विक्रय अनुबंध महिपाल सिंह शेखावट को विक्रय कर दिया है, यदि इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह निम्न पते पर सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में सम्पर्क कर लेवे। आयन्दा कोई आपत्ति माननीय नही होगी।
जयपुर विनोद कुमार एडवोकेट
दिनांक-29.07.24 मो.-9887069197

कार्यालय उपायुक्त, (विद्याधर जोन) नगर निगम ग्रेटर जयपुर
(अम्बाबाडी सामुदायिक केन्द्र, अम्बाबाडी सर्किल, जयपुर)
क्रमांकः-एफ.55 ( ) वि.जोन/ न.नि.ज.(ग्रे)/2024/1216
सार्वजनिक सूचना दिनांकः- 25/07/2024
भूखण्ड सं. 07, पंचवटी-बी कॉलोनी, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर (निजी खातेदारी) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्री श्रवण कुमार कुमावत पुत्र श्री गणेश नारायण के पक्ष में क्षेत्रफल 137.18 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। मूल आवंटी की मृत्यु उपरान्त पंजीकृत हकत्याग पत्र एवं विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती मोनिका डीडवानिया पत्नी श्री महेन्द्र कुमार शर्मा ने भूखण्ड सं. 07, पंचवटी-बी कॉलोनी, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर का नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
उपायुक्त
विद्याधर नगर जोन नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम राजस्थान आवासन मंडल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक : 3072 दिनांक : 25.7.24
जाहिर आम-सूचना
राजस्थान आवासन मंडल की प्रताप नगर योजना में आवास/फ्लैट संख्या LA-605 (LIG), प्रताप अपार्टमेंट का आवंटन श्री अजय पाल सिंह गुजराल पुत्र श्री नानक सिंह गुजराल को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 821 दिनांक 02.11.2011 को जारी किया गया था। श्री अजय पाल सिंह गुजराल की मृत्यु दिनांक 01.11.2017 को हो जाने के कारण उनकी पत्नी श्रीमती अवनीत कौर पत्नी स्व. श्री अजयपाल सिंह द्वारा आवासन मंडल में अपना नाम मंडल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्ष कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मंडल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमती अवनीत कौर पत्नी स्व. श्री अजयपाल सिंह का नाम मंडल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
भवदीय
सम्पदा प्रबंधक
वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मंडल, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर जयपुर
क्रमांकः 3113 जाहिर आम-सूचना दि:26.07.2024
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/फ्लैट संख्या 84/217 (MIG-B) का आवंटन श्री दीपक धवन पुत्र श्री जगदीश धवन को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3895 दिनांक 14.09.2001 को जारी किया गया था आवंटी श्री दीपक धवन के निवेदन पर कार्यालय आदेश क्रमाक 2066 दिनांक 15.10. 2001 के द्वारा श्रीमती स्वर्णलता धवन पत्नी श्री जगदीश धवन का नाम जोड़ा गया । इनके पक्ष में पंजीयन पत्रो निष्पादन दिनांक 04.08.2009 को कर दिया गया । श्री दीपक धवन एव श्रीमती स्वर्णलता धवन द्वारा उक्त आवास को श्रीमती नीता भटोरिया पत्नी श्री देश दीपक भटोरिया एवं श्रीमती विमला भटोरिया पत्नी स्व. श्री उदय सिंह भटोरिया को विक्रय कर इनके पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 04.08.2009 को उप पंजीयक-अष्टम जयपुर में पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती विमला भटोरिया की मृत्यु दिनांक 14.05.2017 को हो जाने के कारण पुत्र श्री देश दीपक भटोरिया द्वारा आवासन मण्डल मे अपना नाम 1/2 हिस्से पर मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं । अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही है, श्रीमती नीता भटोरिया एवं श्री देश दीपक भटोरिया का नाम मण्डल रिकॉर्ड में 50-50 प्रतिशत हिस्सा दर्ज कर दिया जावेगा। भवदीय,
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

आम सूचना जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांक : जविप्रा./उपा./जोन-5/2024/डी-1237 दिनांक 29.07.2024
न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना महेश नगर, के भूखण्ड संख्या सी-505 व 506 का पुनर्गठन करते हुए नाम हस्तान्तरण हेतु श्री संजय प्रतिहार पुत्र श्री कजोडमल द्वारा आवेदक किया गया है। श्री कजोडमल बैरवा के वारिसान 1. श्रीमती मनफली देवी पत्नी स्व. श्री कजोडमल 2. श्री विजय कुमार वर्मा 3. अजय वर्मा 4. सोनू वर्मा पुत्रान स्व. श्री कजोडमल बैरवा के पक्ष में निष्पादित रजि. विक्रय पत्र की प्रमाणित छाया प्रति, श्री कजोडमल बैरवा के मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत कर स्वामित्व पुनर्गठन करते हुए हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। इस कार्यालय द्वारा भूखण्ड संख्या-सी-506, का श्री संजय प्रतिहार पुत्र श्री कजोडमल के पक्ष में क्षेत्रफल 216.66 वर्ग गज का पट्टा विलेख दिनांक 29.09.2023 को जारी किया गया था। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदन द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र व दस्तावेजों के आधार पर आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, हितधारी, संस्था को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को इस सूचना के प्रकाशित होने के 7 दिवस में प्रस्तुत कर देवें। निर्धारित मियाद में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदकगण के पक्ष में नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।
उपायुक्त जोन-5

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक मकान नम्बर 90/54, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान मे स्थित है, उक्त वर्णित सम्पूर्ण मकान नम्बर 90/54 को श्रीमती इन्दिरा छाबड़ा धर्मपत्नि श्री तारा चन्द छाबड़ा ने जरिये विक्रय पत्र लिखा हुआ दिनांक 09/11/2011 श्री खेमेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री झम्मन लाल अग्रवाल से खरीद किया था तत्पश्चात् श्रीमती इन्दिरा छाबड़ा का दिनांक 07/01/2022 को स्वर्गवास हो गया है तथा श्री तारा चन्द छाबड़ा का भी स्वर्गवास हो जाने के कारण राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ने उक्त वर्णित सम्पूर्ण मकान नम्बर 90/54 श्रीमती निक्षा जैन, श्रीमती नमिता जैन, श्रीमती सीमा सुमित जैन एवं श्रीमती रश्मि जैन पुत्रियान् स्वर्गीय श्री तारा चन्द छाबड़ा एवं स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा छाबड़ा के नाम हस्तांतरित कर दिया है। यह कि उक्त मकान को श्रीमती बिन्दु कुमारी गुप्ता धर्मपत्नि श्री देवेन्द्र कुमार मित्तल निवासी फ्लैट नम्बर जी-1, एलाट नम्बर ए-256, कृष्णम रेजीडेन्सी, 80 फीट रोड, महेश नगर, जयपुर, राजस्थान ने श्रीमती निक्षा जैन, श्रीमती नमिता जैन, श्रीमती सीमा सुमित जैन एवं श्रीमती रश्मि जैन से खरीद करने का इकरार किया है तथा उक्त मकान की खरीद हेतु श्रीमती बिन्दु कुमारी गुप्ता ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड से ऋण हेतु आवेदन भी किया है, यदि उक्त मकान के विक्रय/हस्तांतरण इत्यादि के सम्बन्ध मे किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियो, संस्था, कम्पनी इत्यादि को किसी भी प्रकार की आपत्ति, आक्षेप इत्यादि हो तो प्रकाशन तिथि से 7 दिन (सात दिन) की अवधि मे मुझे सूचित करे, अन्यथा बाद मियाद आपत्ति अमान्य मानी जावेगी तथा उक्त मकान के विक्रय पत्र का विधिवत् पंजीयन श्रीमती बिन्दु कुमारी गुप्ता के हित मे करा दिया जायेगा।
दिनांक:29/07/2024 Shashank Tikkiwal, Adovocate
स्थान:जयपुर मो.-9166400077

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in, Phone No. 0141-2782772
कमांक-DHC-II/ 568 दिनांक-16/7/24
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 93/42, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 162.00 वर्ग मीटर / वर्ग गज का आवंटन श्री योगेश गर्ग पुत्र श्री हरी निवास गर्ग को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3926 दिनांक 12.12.1989 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 06.04.1990 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात श्री योगेश गर्ग की मृत्यु दिनांक 27.01.2020 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती ममता गर्ग पत्नी स्व. श्री योगेश गर्ग ने मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञिप्त प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती ममता गर्ग पत्नी स्व. श्री योगेश गर्ग के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवसन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।